

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 273/16 ई०फौ०

संस्थित दिनांक-16.05.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

1. मंगल जाटव पुत्र छत्रपाल जाटव उम्र 53 वर्ष
2. राजाराम जाटव पुत्र मंगल जाटव उम्र 19 वर्ष
3. मनोज जाटव पुत्र मंगल जाटव उम्र 22 वर्ष

समस्त निवासीगण- ग्राम अगनूपुरा थाना गोहद जिला भिण्ड

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 22.06.2018 को घोषित}**

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 294, 323, 324 सहपठित धारा 34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 22.04.2016 को 16 बजे फरियादी श्रीमती बाई के घर के पास अगनूपुरा में फरियादी श्रीमती बाई को अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभकारित करने किया, सामान्य आशय का निर्माण कर उसके अग्रशरण में फरियादी श्रीमती बाई को संयुक्त या पृथकतः पटककर तथा लात व तूंसों स्वेच्छया मारपीट कर उपहति कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी श्रीमती बाई के घर के सामने अभियुक्तगण की नाली का पानी भरता था। दिनांक 22.04.2016 को वह करीब 4 बजे जब फरियादी ने कहा कि उसके घर के बाहर पानी भर रहा है तो उसी बात पर अभियुक्त राजाराम उसे पकड़कर खींचने लगा, मनोज व मंगल ने गाली गलौच की, सड़क पर पटककर लात घूंसों से मारपीट की, जिससे उसके पैर एवं तलवे में चोट आई, उक्त आशय की सूचना से अदम चैक रिपोर्ट 91/2016 लेख गई, आहत का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। फरियादी के आई चोट क्र० 1 कठोर व धारदार वस्तु से आना पाये जाने से अपराध क्र० 112/16 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेख किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के द्वारा दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण में उनके निर्दोष होने तथा रंजितवश झूठा फंसाया जाने का कथन किया गया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 22.04.2016 को 16 बजे फरियादी श्रीमती बाई के घर के पास अगनूपुरा में फरियादी श्रीमती बाई को अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभकारित किया ?
2. क्या उक्त दिनांक व समय पर फरियादी श्रीमती बाई को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति क्या थी।
3. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सामान्य आशय का निर्माण कर उसके अग्रशरण में फरियादी श्रीमती बाई को संयुक्त या पृथक् पटककर तथा लात घूंसें स्वेच्छया मारपीट कर उपहति कारित की ?

**--: सकारण निष्कर्ष :-**

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रकरण में श्रीमती बाई अ०सा० 1, राखी अ०सा० 2, कलियान अ०सा० 3, बालमुकुन्द अ०सा० 4, डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया। जबकि अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कृपाराम ब०सा० 1 को परीक्षित कराया गया है।

**--: विचारणीय प्रश्न क्र० 1 का निष्कर्ष :-**

6. फरियादी श्रीमती बाई अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करती है कि घटना दिन के तीन बजे की है, वह अपने घर में थी, पति गांव में एक कार्यक्रम होने गये थे। उनके दरवाजे पर नाली है जिसमें आरोपीगण का पानी आता है, जब आरोपीगण से उसने कहा था कि पानी को आगे बढ़ा दो, उनका बच्चा बीमार है तो अभियुक्तगण ने कहा कि उनका पानी ऐसे ही चलेगा और गालियां देने लगे, उसके पश्चात् मारपीट किये जाने का कथन करती है। अपने अभिसाक्ष्य में कथित गाली कौन-कौन सी दी व कथित गालियां सुनकर उसे क्षोभ कारित हुआ हो, इस संबंध में कोई भी तर्क अभिलेख पर नहीं है। राखी अ०सा० 2 अपने मुख्य परीक्षण में कथन करती है कि वह घर के अंदर थी और उसकी मां अर्थात् फरियादी घर के बाहर बैठी थी, अभियुक्तगण उसकी मादरचोद बहन चोद की गालियां देने लगे, जो उसे सुनने में बुरी लगी। कलियान अ०सा० 3 भी यह कथन करते हैं कि आरोपीगण मां बहन की गालियां दे रहे थे जो उसे सुनने में बुरी लगी थी। उक्त दोनों साक्षी राखी अ०सा० 2 एवं कलियान अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण द्वारा “मादरचोद बहनचोद” की गाली दिये जाने का तथ्य प्रकट करते हैं किन्तु पुलिस कथन प्र०डी० 1 और प्र०डी० 2 में उक्त तथ्य लिखाने का कथन करते हैं जबकि उक्त दस्तावेजों में उल्लेख नहीं है।

7. कलियान अ०सा० 3, जो कि फरियादी का पति है वह घटनास्थल पर घटना के समय पहुंच जाने का कथन करता है जबकि उसके पुलिस कथन प्र०डी० 2 में कथित घटना के संबंध में उसे पत्नि द्वारा बताये जाने का तथ्य लेख है इस प्रकार से साक्षी द्वारा अनुश्रुत साक्षी के रूप में अनुसंधान में दर्शाये जाने पर भी स्वयं को चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सर्वोत्तम साक्षी स्वयं फरियादी श्रीमती बाई अ०सा० 1 द्वारा न तो स्पष्ट किया कि अभियुक्तगण ने कथित रूप से कौन सी गालियां अथवा अश्लील शब्दों का उच्चारण किया था तथा अभिकथित गालियां व अश्लील शब्द उसे सुनकर क्षोभ कारित हुआ हो, ऐसा भी प्रकट नहीं किया है। संहिता की धारा 294 के अपराध के अधीन आपराधिक दायित्व निर्धारण हेतु इस संबंध में तर्क पूर्ण व विश्वसनीय साक्ष्य होना आवश्यक है कि सार्वजनिक स्थान पर आरोपित व्यक्ति द्वारा अश्लील शब्द अथवा गालियों का उच्चारण किया हो तथा अभिकथित अश्लील शब्द व गालियां सुनकर उसे सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ हो। इस प्रकार से अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 294 के अधीन आपराधिक दायित्व अधिरोपण के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाई जाती है। अतः संहिता धारा 294 का आरोप प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

#### **--:: विचारणीय प्रश्न कं० 2 का निष्कर्ष ::--**

8. फरियादी श्रीमती बाई अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करती है अभियुक्तगण ने उसे हाथों से मारा था जिससे उसके पैर में चोट आई थी और गट्टी बैठ गई थी साथ ही उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस में करना बताती है और पुलिस द्वारा डॉक्टरी कराये जाने का कथन करती है। राखी अ०सा० 1 यह कथन करती है कि अभियुक्तगण ने उसकी मां की मारपीट कर दी और उसकी मां को रोड़ पर पटक रहे थे, उससे भी गाली गलौच की तथा राजाराम व मंगल ने उसे थप्पड़ मार दिया, उसकी मां को पैर में गिट्टी लग जाने से चोट आने का कथन करती है। कलियान अ०सा० 3 भी कथन करते हैं कि अभियुक्तगण ने उनकी पत्नि की आर०सी०सी० पर पटककर मारपीट की, मारपीट से पत्नि की जांघ, पैर में चोट आ जाने और गिट्टी से पैर में चोट आने का कथन करती है।

9. डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा० 5 अपने अभिसाक्ष्य में बताते हैं कि दिनांक 23.04.2016 को मेडिकल ऑफिसर के रूप में सी०एच०सी० गोहद में पदस्थ थे, उक्त दिनांक को फरियादी को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसे स्वतः ही कटा हुआ घाव, दाहिने पैर के तलवे के क्षेत्र में चौथी से पांचवी मेटाटार्टस एरिया में था, जिसका आकार 3 गुणा 1 गुणा 0.5 सेमी० था तथा कंट्यूजन बाये हिप जोईंट के अंदर थी जिसका आकार 3 गुणा 2 सेमी० के आकार का था, चोट क्र० 1 कठोर तथा धारदार वस्तु से तथा चोट क्र० 2 सख्त व भोतरी वस्तु से परीक्षण अवधि के छः से चौबीस घंटे के अंदर आना प्रतीत हो रही थी। रिपोर्ट प्र०पी० 2 बताकर उस पर अपने ए से ए भाग

पर हस्ताक्षर हो प्रमाणित करते हैं। चोट क० 1 किसी नुकीले कांच पर पैर पड़ जाने से आना संभव है तथा चोट क० 2 उंचाई से गिरने से आना संभव होगी, का कथन करते हैं।

10. अभियुक्तगण की ओर से फरियादी श्रीमती बाई को कारित चोट के संबंध में चुनौती मात्र इस आधार पर दी गई थी उसे घर से निकलते ही पैर के नीचे कांच या गिट्टी आ जाने से वह गिर पड़ी थी जिससे उन्हें चोट आई थी, इस प्रकार से फरियादी को चोट के संबंध में अभियुक्तगण की ओर से अभिलेख पर खण्डन नहीं है। कृपाराम ब०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि डेढ़ दो साल पहले फरियादी आ०सी०सी० की रोड़ से आ रही थी और घर से निकलते ही पैर के नीचे कांच या गिट्टी पर आ गई जिससे वह गिर गई और उन्हें चोट आई। साक्षी कथित घटना का दिन, तारीख, महीना, साल कुल भी बताने में असमर्थ है, यह बताने में असमर्थ है कि फरियादी को चोट कहा और किस पैर में आई थी साक्षी न्यायालय में पहली बार कथन करना बताते हैं, ऐसे में बचाव साक्षी का कथन विश्वसनीय नहीं है। वहीं दूसरी ओर फरियादी के द्वारा घटना के संबंध में दिनांक 23.04.2016 को अदम चैक लेख कराया जाना, चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाना, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 2 के माध्यम से अभिकथित चोटों की पुष्टि होना, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अधीन सुसंगत होकर उक्त अधिनियम के अधीन 114 डाक के अधीन पदीय कर्तव्य के निर्माण में निष्पादित किये जाने से अविश्वास का कोई युक्तियुक्त आधार न होने से विश्वसनीय है। अतः उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 22.04.2016 को फरियादी श्रीमती बाई के शरीर पर चोट मौजूद थी। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या फरियादी को कारित चोट अभियुक्तगण या उनमें से किसी के द्वारा कारित की गई ?

#### **--: विचारणीय प्रश्न कं० 1 का निष्कर्ष ::--**

11. फरियादी श्रीमती बाई अ०सा० 1 यह कथन करती है कि उनके घर के सामने आरोपीगण की नाली का पानी भर रहा था, जब उन्होंने आरोपीगण से कहा कि पानी आगे बढ़ा दो, उनका बच्चा बीमार है, जो अभियुक्त ने कहा कि उनका पानी ऐसे ही चलेगा और गाली देने लगे। इसके बाद जब वह घर के अंदर चली गई तो आरोपीगण उसे बाहर खील लाये और मारपीट करने लगे। अभिकथित मारपीट से साक्षी उसे चोट कारित होने का कथन करती है। उक्त घटना के संबंध में साक्षी राखी अ०सा० 2 प्रस्तुत हुई जो कथन करती है कि उसकी मां घर के बाहर बैठी थी और आरोपीगण से कहा कि दरवाजे के सामने नाली है, नाली को साफ कर दो जिससे पानी आगे निकल जाये, उसकी मां दरवाजे पर बैठी थी, उन्हें परेशानी हो रही थी। इसके बाद आरोपीगण ने मारपीट शुरू कर दी और कहने लगे कि ऐसे ही पानी चलेगा। कलियान अ०सा० 3 भी इस तथ्य का समर्थन करते हैं और अभियुक्तगण द्वारा उसकी पत्नि की मारपीट से उपहति होने का कथन करते हैं।

12. घटना का कथन चक्षुदर्शी साक्षी बालमुकुन्द अ०सा० 4 अपने अभिसाक्ष्य में घटना का कोई समर्थन नहीं करता है व पुलिस कथन प्र०पी० 1 के विनिर्दिष्ट भाग को दिये जाने से इंकार करता है। इस प्रकार से मामला अभियोजन साक्षी स्वयं फरियादी एवं उसके पुत्री व पति पर निर्भर है। अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण को रंजिशन अपराध में झूठा लिप्त किया गया है। कथित रंजिश के संबंध में श्रीमती बाई अ०सा० 1 से प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 3 में सुझाव दिया गया कि आरोपीगण से उसके पति का जमीनी विवाद चल रहा है तो साक्षी ने उसके संबंध में जानकारी न होना बताया है। यद्यपि यह अवश्य स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्तगण के यहां आना जाना नहीं है और यह भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण का पानी अपने दरवाजे पर रोक दिया था। कलियान अ०सा० 3 को भी कण्डिका 3 में जमीनी विवाद के संबंध में मनमुटाव होने का सुझाव दिया गया जिसे साक्षी ने अस्वीकार किया। राखी अ०सा० 2 ने भी रंजिशन झूठी रिपोर्ट करने के सुझाव से इंकार किया है।

13. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से कथित जमीनी विवाद के संबंध में कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसे में अपुष्ट सुझाव के आधार पर अभियुक्तगण को मिथ्या लिप्त किये जाने का तर्क विश्वसनीय व युक्तिसंगत नहीं पाया जाता है। अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि फरियादी के पति ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त मनोज भिण्ड में पड़ता है तथा राजाराम जयपुर में रहकर मजदूरी का कार्य करता है ऐसे में उन्हें मिथ्या लिप्त किया गया है। इस संबंध में साक्षी कलियान अ०सा० 3 के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 उल्लेखनीय है जिसमें स्पष्ट रूप से साक्षी इस तथ्य का इंकार करता है कि अभियुक्तगण घटना दिनांक को गांव में नहीं थी बल्कि भिण्ड और जयपुर में थे। जहां तक अभियुक्तगण की अन्यत्र उपस्थिति के संबंध में अभियुक्तगण का बचाव है तो यह तथ्य स्वयं अभियुक्त को प्रमाणित करना था कि वे घटनास्थल से कितनी दूरी पर मौजूद थे कि वह उस समय पर घटनास्थल पर उपस्थित ही नहीं हो सकते थे, ऐसी दशा में उपरोक्त सुझाव के संबंध में विश्वसनीय व तर्कपूर्ण आधार अभिलेख पर नहीं है, ऐसी दशा में अन्यत्र उपस्थिति का बचाव सारवान नहीं पाया जाता है।

14. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आहत श्रीमती बाई के द्वारा गिरने से आई चोटों को आधार बनाकर अभियुक्तगण को असत्य रूप से लिप्त किया है इस संबंध में आहत श्रीमती बाई अपने मुख्य परीक्षण में कथन करती है कि उसे अभियुक्तगण ने हाथों से मारा था जिससे उसके पैर में चोट आई थी, गिट्टी बैठ गई थी। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं करती है कि अभियुक्तगण या उनमें से किसी के द्वारा कथित गिट्टी से उसके पैर में चोट पहुंचाकर स्वेच्छया उपहति कारित की हो। इस संबंध में राखी अ०सा० 2 का कथन अवलोकनीय है जो प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 3 में कथन करती है कि राजाराम ने उनकी मां को डंडा

मारा था और मंगल सिंह ने मां के पैर में पैर रख दिया था जिससे उसे गिट्टी लग गई थी जबकि स्वयं फरियादी ने उसे राजाराम द्वारा डंडा मारने और मंगल सिंह द्वारा पैर पर पैर रख देने का कोई कथन नहीं दिया है। कलियान अ0सा0 3 जो मुख्य परीक्षण में उसकी पत्नि को जांघ में, पैर में चोट आना बताते हैं, वे प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में कथन करते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नि की चोटी नहीं देखी। यह साक्षी प्रतिपरीक्षण में किसी अभियुक्तगण द्वारा डंडा मारने की बात नहीं बताता है। साक्षी कण्डिका 2 में पत्नि की लात घूँसों से मारपीट किये जाने का कथन करता है। मुख्य परीक्षण में गिट्टी से पत्नि के पैर में चोट आने और खून निकल आने का कथन करते हैं किन्तु कथित तलवे में आई चोट अभियुक्तगण के स्वेच्छया कृत्य का परिणाम हो, ऐसा कोई कथन नहीं करते हैं।

15. संहिता की धारा 324 के अपराध को प्रमाणित किये जाने के लिए यह तथ्य आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा असन, भेदन, काटने वाले वस्तु, ऐसी वस्तु जिसके खतरनाक आयुध के रूप में प्रयोग करने पर मृत्यु कारित होना संभव हो, संक्षारणीय पदार्थ या ऐसा पदार्थ जिसके श्वास में जाने या निगलने से मानव जीवन को संकट उत्पन्न हो, से स्वेच्छया उपहति कारित होने पर आरोप के अधीन दोषसिद्धि की जा सकती है किन्तु प्रकरण में फरियादी श्रीमती बाई को उसके पैर के तलवे में आई चोट अभियुक्त/अभियुक्तगण के स्वेच्छया कृत्य का परिणाम रही हो, यह तथ्य प्रमाणित नहीं है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध मात्र धारा 323/34 का आरोप प्रमाणित होना पाया जाता है।

16. इस प्रकार से उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उन्होंने दिनांक 22.04.2016 को समय करीब शाम 4 बजे फरियादी श्रीमती बाई के घर के पास अगनूपुरा में फरियादी श्रीमती बाई को संयुक्त या पृथकतः लात घूँसों स्वेच्छया मारपीट कर उपहति कारित की। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 323/34 के आरोप के अधीन दोषसिद्ध ठहराया जाता है शेष आरोप अंतर्गत धारा 294, 324 के आरोप के अधीन दोषमुक्त किया जाता है।

17. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उसे अभिरक्षा में लिया गया।

18. अभियुक्तगण के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)

**पुनश्च:**

19. अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्तगण की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्तगण के ग्रामीण परिवेश के होकर पिता पुत्र एवं मजदूर होने

के आधार पर कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

**20.** अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश का अवश्य हैं साथ ही अभियुक्तगण व फरियादी एक ही परिवार के सदस्य हैं। फरियादी को आई चोट साधारण प्रकृति की है। ऐसे में अभियुक्तगण को कठोरतम दण्ड से दण्डित करने की दशा में अभियुक्तगण एवं फरियादी पक्ष के मध्य भविष्य में मधुर संबंधों की संभावना क्षीण हो जायेगी। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 323/34 के अधीन न्यायालयीन उठने तक की अवधि से दण्ड एवं 800-800 रुपये अर्धदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्धदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को एक माह का कारावास भुगताया जावे।

**21.** अभियुक्तगण से अर्धदण्ड के रूप में बसूली गयी राशि में से फरियादी/आहत श्रीमती बाई पत्नी कलियान सिंह जाटव निवासी ग्राम अगनूपुरा थाना गोहद जिला भिण्ड को हुई क्षति या हानि के प्रतिकर के रूप में दफ़्त की धारा 357-1 ख के अधीन 500 रुपये (पांच सौ रुपये) आवेदन करने पर विधि अनुसार प्रदान किये जावें।

**22.** प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

**23.** निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्तगण को प्रदान की जावे।

**24.** अभियुक्तगण की निरोधावधि कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश